तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	<u>निगरानी/टी.ए./5445/2003/पाली</u> **अर्जुन सिंह बनाम सरकार व अन्य**	
05-3-18	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री ईश्वर देवडा व श्री हेमसिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u> <u>दिनांक :</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के आदेश दिनांक 17–10–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या15 से 18 को पक्षकार बनाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 500 राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है जिसका इन्द्राज चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज है। अर्थात खसरा नम्बर 500 पूर्ण रूप से चारागाह दर्ज नहीं है। राज्य सरकार के खाते में होने से प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में ही पक्षकार है। वादी ने अपना वाद भी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया है। राज्य सरकार के होते हुये ग्राम पंचायत को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी वादी अपने वाद का मास्टर है उसकी इच्छा के विपरीत किसी पक्षकार को प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के घटकों को समझे बिना यही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। इसलिये आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। 5– जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि आराजी खसरा नम्बर 500 रकबा 2–93 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर बंजड दर्ज है जो ग्राम पंचायत की सम्पति है। इस भूमि को ग्राम के मवेशियों के चराई हेतु काम में लिया जाता है तथा इस गोचर भूमि का प्रबन्ध ग्राम पंचायत एवं आम नागरिक करते हैं। इसलिये उक्त वर्णित आराजी पर ग्राम पंचायत एवं आम ग्रामवासी का हित निहित है। इसलिये सही निर्णय के लिये उन्हें बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाये जाने का जो आदेश पारित किया	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5445/2003/पाली</u>** **अर्जुन सिंह बनाम सरकार व अन्य**	
	गया है वह विधिसम्मत है। निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 500 गैर मुमकिन बंजड चारागाह दर्ज है तथा ग्राम पंचायत के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का विवाद बिन्दु मुख्यतः वादी के कब्जे काश्त अथवा उनके आधिपत्य की होना अथवा नहीं के बारे में विस्तृत जांच साक्ष्य सबूत दस्तावेज आदि को रेकार्ड पर लिया जाकर गुणागुवण के आधार पर तय किया जाना अपेक्षित है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चारागाह गोचर ग्राम पंचायत बसन्त के नाम से दर्ज है और उक्त आराजी की देख रेख निगरानी आदि ग्राम पंचायत एवं आम ग्रामवासियों द्वारा रखा जाना उनका कर्तव्य होता है। इसलिये प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का हित निहित होना मानते हुये उन्हें पक्षकार बनाने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है उसमें हम निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। 8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5445/2003/पाली</u>** **अर्जुन सिंह बनाम सरकार व अन्य**	